

# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- डॉ० अरूण गर्ग  
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 142/2026

हिन्दूजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय 27ए, डवलपड इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, गुईन्डी, चैन्नई 600032, शाखा कार्यालय द्वितीय तल, 212, 213, 214 एवरसाईन टॉवर एफ-1, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर- 302021 जरिये प्राधिकृत अधिकारी नेहा कुमावत।

--- प्रार्थी कम्पनी

बनाम

- श्रीमती कविता पत्नि स्व० सुभाष कुमार ( ऋणी व विधिक वारिस स्व० श्री सुभाष कुमार ), पता पट्टा नं० LSG/SG/PATTA/2024-25/31, वार्ड नं० 9, सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं, राजस्थान 333029
- श्रीमती शीला पुत्र श्री ब्रीजलाल शीला ( सह ऋणी व बंधनकर्ता ), पता पट्टा नं० LSG/SG/PATTA/2024-25/31, वार्ड नं० 9, सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं, राजस्थान 333029

--- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

एडवोकेट श्री मनोज वर्मा- प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 23.04.2026

प्रार्थी हिन्दूजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं० 1 के पति व अप्रार्थी सं० 2 के भाई स्व० श्री सुभाष कुमार ने अपने जीवनकाल में प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 23.04.2025 को ऋण अनुबन्ध निष्पादित कर खाता संख्या RJ/CHR/jhju/A000000549 रुपये 7,00,000/- ( अक्षरे सात लाख रुपये मात्र ) का ऋण लिया था। अप्रार्थी संख्या 1 के पति स्व० श्री सुभाष कुमार की मृत्यु हो जाने के कारण स्व० श्री सुभाष कुमार के ज्ञात विधिक वारिसान को उक्त प्रार्थना पत्र में बतौर पक्षकार संयोजित किया गया है। अप्रार्थी सं० 1 के पति स्व० सुभाष कुमार की विधिक वारिस होने के कारण स्व श्री सुभाष कुमार द्वारा किये गये अपने जीवनकाल में सभी क्रियाकलापों व प्राप्त किये गये ऋण को चुकाने के लिए अप्रार्थी सं० 1 उत्तरदायी है। अप्रार्थी सं० 1 के पति व अप्रार्थी सं० 2 ने ऋण मय ब्याज के पुर्नभुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपने स्वामित्व की निर्माणशुदा अचल सम्पत्ति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में साम्यिक बंधक किया हुआ है जिसका वर्णन निम्न प्रकार है:-

बंधक सम्पत्ति का विवरण

नरेन्द्र शीला व स्व० सुभाष कुमार पुत्र श्री बृजलाल शीला की अचल सम्पत्ति का पट्टा नं० LSG/SG/PATTA/2024-25/31, वार्ड नं० 9, सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं, राजस्थान 333029 पर स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 130.33 वर्गगज है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं जिसकी चतुर्सीमायें निम्न प्रकार हैं:-

पूर्व में	- रास्ता
पश्चिम में	- मोहनलाल
उत्तर में	- मन्दरूप का मकान
दक्षिण में	- रास्ता

जिला कलक्टर झुंझुनूं

अप्रार्थी संख्या 1 के पति स्व० श्री सुभाष कुमार की मृत्यु हो जाने के कारण प्रार्थी सं० 1 की कानूनी वारिसान को उक्त प्रार्थना पत्र में विधि अनुसार 13(2) सरफेसी एक्ट को नोटिस प्रेषित किया गया है। चूंकि अप्रार्थी सं० 1 के पति स्व० श्री सुभाष कुमार की जायन्दा व कानूनी वारिस है इसलिए अप्रार्थी सं० 1 के पति स्व० श्री सुभाष कुमार के जीवनकाल में प्राप्त किये गये ऋण व अन्य दायित्वों का निर्वहन करने हेतु आबध है। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान में व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 06.10.2025 को प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अक्रियान्वित आस्ति ( एन०पी०ए० ) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। अप्रार्थीगण के ऋण खाता में बकाया रूपये 7,26,444/- ( अक्षरे सात लाख छब्बीस हजार चार सौ चौमालीस रूपये मात्र ) दिनांक 08.10.2025 तक शेष देय है व दिनांक 09.10.2025 से आगे का ब्याज खर्च सहित राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी हिन्दूजा हाउसिंह फाईनेन्स लिमिटेड के द्वारा उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 25.10.2025 को डिमाण्ड नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया। डिमाण्ड नोटिस का सार दो प्रमुख समाचार पत्र में भी प्रकाशन करवाया जिसकी प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा नियत समयावधि में उपरोक्त बकाया देय राशि का भुगतान प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा मियाद अवधि 60 दिवस पूर्ण हो जाने के पश्चात् भी बकाया ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं किया है। अतः उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी वित्तीय संस्था उक्त चरण संख्या 3 में वर्णित बंधकशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त बकाया देय राशि को वसूलने की अधिकारी है। उक्त चरण संख्या 3 में वर्णित सिक्यूरिटी बंधक सम्पत्ति पर ताले लगे होने की स्थिति में सम्पत्ति पर लगे तालों को तोड़ा जाकर कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर देय राशि वसूल करने का आदेश फरमाये जाने की कृपा करें। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित अप्रार्थीगण की अचल सम्पत्ति का कब्जा जरिये पुलिस इमदाद अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने की कृपा करें।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी का ऋण नहीं चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी द्वारा नियमानुसार एन०पी०ए० घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।


हमने प्रार्थी हिन्दूजा हाउसिंह फाईनेन्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें हैं व प्रार्थी हिन्दूजा हाउसिंह फाईनेन्स लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी हिन्दूजा हाउसिंह फाईनेन्स लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें हैं व प्रार्थी हिन्दूजा हाउसिंह फाईनेन्स लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी हिन्दूजा हाउसिंह फाईनेन्स लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी हिन्दूजा हाउसिंह फाईनेन्स लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें हैं। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी हिन्दूजा हाउसिंह फाईनेन्स

  
जिला कलक्टर/मुम्बई

लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफॉर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नरेन्द्र शीला व स्व० सुभाष कुमार पुत्र श्री बृजलाल शीला की अचल सम्पत्ति का पट्टा नं० LSG/SG/PATTA/2024-25/31, वार्ड नं० 9, सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं, राजस्थान 333029 पर स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 130.33 वर्गगज है जिसमे भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है का पजेशन प्रार्थी हिन्दूजा हाउसिंह फाईनेन्स लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थी हिन्दूजा हाउसिंह फाईनेन्स लिमिटेड के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावे।

आदेश आज दिनांक 23.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
जिला डॉ० अरुण कुमार  
जिला कलक्टर एवं  
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं